

पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 103(स०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 14.12.2015 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2235-समाजिक सुरक्षा और कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-01-पुनर्वास, लघु शीर्ष-200-अन्य राहत उपाय उपशीर्ष-0003-शीतलहर से बचाव हेतु उपाय, विपत्र कोड N2235012000003 मद में 2,00,000.00 (दो लाख) रुपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे निम्नरूपेण उपावंटित करते हुए सम्बन्धित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2015-16 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माँग संख्या - 39

यूनिट कोड 31-06-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा।

(रूपया में)

क्रमांक	आवंटित पदाधिकारी का पद नाम	पूर्व उपावंटित राशि	वर्तमान उपावंटित राशि	योग
1	2	3	4	5
01	अंचलाधिकारी, पटना सदर।	00.00	60,000.00	60,000.00
02	अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ।	00.00	10,000.00	10,000.00
03	अंचलाधिकारी, पुनपुन।	00.00	6,000.00	6,000.00
04	अंचलाधिकारी, मसौढ़ी।	00.00	6,000.00	6,000.00
05	अंचलाधिकारी, धनरूआ।	00.00	6,000.00	6,000.00
06	अंचलाधिकारी, सम्पतचक।	00.00	5,000.00	5,000.00
07	अंचलाधिकारी, दनियावां।	00.00	5,000.00	5,000.00
08	अंचलाधिकारी, खुशरूपुर।	00.00	5,000.00	5,000.00
09	अंचलाधिकारी, फतुहॉ।	00.00	7,000.00	7,000.00
10	अंचलाधिकारी, अथमलगोला।	00.00	4,000.00	4,000.00
11	अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर।	00.00	8,000.00	8,000.00
12	अंचलाधिकारी, बाढ़।	00.00	10,000.00	10,000.00
13	अंचलाधिकारी, पंडरक।	00.00	4,000.00	4,000.00
14	अंचलाधिकारी, मोकामा।	00.00	10,000.00	10,000.00
15	अंचलाधिकारी, घोषवरी।	00.00	5,000.00	5,000.00
16	अंचलाधिकारी, बेलछी।	00.00	5,000.00	5,000.00
17	अंचलाधिकारी, दानापुर।	00.00	10,000.00	10,000.00
18	अंचलाधिकारी, मनेर।	00.00	5,000.00	5,000.00
19	अंचलाधिकारी, बिहटा।	00.00	5,000.00	5,000.00
20	अंचलाधिकारी, नौबतपुर।	00.00	5,000.00	5,000.00
21	अंचलाधिकारी, बिक्रम।	00.00	7,000.00	7,000.00
22	अंचलाधिकारी, पालीगंज।	00.00	8,000.00	8,000.00
23	अंचलाधिकारी, दुल्हनबाजार।	00.00	4,000.00	4,000.00

कुल :-	00.00	2,00,000.00	2,00,000.00
--------	-------	-------------	-------------

1. उपावंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2235-समाजिक सुरक्षा और कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-01-पुनर्वास, लघु शीर्ष-200-अन्य राहत उपाय उपशीर्ष-0003-शीतलहर से बचाव हेतु उपाय मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
2. यह उपावंटन चालू वित्तीय वर्ष में शीतलहर से बचाव हेतु विभागीय पत्रांक 4489/आ०प्र० दिनांक 10.12.2015 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के तहत निर्गत किया जा रहा है। इस राशि से शीतलहरी की दशा में अलाव की व्यवस्था सभी शहरी/अर्द्धशहरी स्थानों में की जायेगी। उक्त सभी पदाधिकारी अलाव जलाने का स्थान चयन करते समय यह ध्यान रखें कि अलाव ऐसे स्थानों पर जलाये जाएँ, जहाँ अधिक से अधिक जन सामान्य, विशेषकर निर्धन, निःसहाय एवं आवासहीन लोग निवास करते हों या एकत्र होते हों। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि अन्य सार्वजनिक स्थानों में अलाव जलाया जाए, जहाँ अधिक से अधिक प्रभावित लोगों को लाभ मिल सके।
3. उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जायेगा अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।
4. उपावंटित राशि की निकासी यथा संभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि को अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को शीघ्रताशीघ्र भेज दी जाय। शीतलहर प्रकोप से बचाव के लिए अलाव जलाये जाने संबंधित दैनिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में भी इस कार्यालय को भेजी जाय।
5. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष-लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़ों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
6. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561वि० (2), दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।
7. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2016 के पूर्व निश्चित रूप से कर देंगे अन्यथा इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

ह०/—

जिला पदाधिकारी,  
पटना।

ज्ञापांक IV-24/13. 1097/आ०प्र०, दिनांक 21/12/15  
प्रतिलिपि :- सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

h

- प्रतिलिपि:— सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत चिन्हित स्थलों पर अलाव जलाने से सम्बन्धित दैनिक प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी,पटना/कोषागार पदाधिकारी, दानापुर/पटना सिटी/मसौढ़ी, मोकामा एवं बाढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।
- प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 103/आ०प्र० दिनांक 14.12.2015 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

ke 19/12

जिला पदाधिकारी,  
पटना।